जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07-11-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करके छुपा देने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/20 धारा 363/302/201/376 AB/377 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता लालबहादुर केवट पुत्र राममिलन निवासी अकलोहना(राजेबोहा) उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 04.11.2020 को वादी की 07 वर्षीय लड़की के खेत से गयाब होने की घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 209/20 धारा 363 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर गुमशुदा की बरामदगी हेतु स्थानीय पुलिस, डाग स्क्वायड, फिल्ड यूनिट व सर्विलांस टीम की मदद से गुमशुदा के गायब होने के स्थान के बगल के पूरे जंगल की तलाशी करायी गयी जहां पर जंगल के बीच नाली में गुमशुदा के कपड़े बरामद हुए, शक के आधार पर दिनांक 07.11.2020 को समय सुबह 9.00 बजे अभियुक्त लाल बहादुर केवट पुत्र राममिलन को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया तथा दुष्कर्म की घटना कारित करने के बाद गला दबाकर हत्या कर देने व शव को भाकुरहवा ताल के पास जंगल में स्थित नाले में छुपा देने की बात स्वीकर की गयी, जिसे अभियुक्त की निशानदेही पर समय करीब 10.00 बजे बरामद कर लिया लिया गया तथा अभियुक्त द्वारा घटना मे प्रयुक्त चद्दर (जिसमें बालिका को उठाकर दफनाने के लिए ले गया था) और अभियुक्त का अण्डरवियर को बरामद करते हुए पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह सोशल मीडिया सेल, हे0का0 विनोद तिवारी, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, हे0का0 योगेन्द्र यादव, का0 भूपेन्द्र सिंह, म0का0 सन्ध्या, का0 मनीष गुप्ता(सर्विलांस टीम), का0 पुष्पेन्द्र गौतम(सर्विलांस टीम), का0 रामप्रवेश मद्धेशिया(सर्विलांस टीम)।

नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 312/20 धारा 376/506 भादवि, ¾ पाक्सो एक्ट व 66 (डी) आईटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अब्बास अली पुत्र मो0 अली निवासी हरदी हट्टा थाना मेंहदावल को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.11.2020 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना कारित करते हुए दुष्कर्म की वीडियो क्लिप बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी दी गयी थी जिसके उपरान्त वादी द्वारा दिनांक 04.11.2020 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें दिनांक 05.11.2020 को अभियुक्त इजहार अली पुत्र रमजान अली निवासी ठूठीबारी जनपद महराजगंज को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 07.11.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री अनिल कुमार पाण्डेय, हे0का0 चा0 रामअचल प्रसाद, का0 आलोक मणि।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता खलील उर्फ जुख्खी निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 405/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत उतरावल से इवेन्ट संख्या 12876 से कालर ने जान से मारने के प्रयास के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 17 मिनट में घटना स्थल पर पहुंकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाय़ा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई

गयी तथा एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आरक्षी प्रेमशंकर सिंह, म0आरक्षी रेनू पाल, आ0चा0 भीमसंन सिंह ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 230 वाहनो से 224800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 230 वाहनो से 224800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।